

**अनुदान संख्या 6 – उर्वरक विभाग**  
**GRANT No. 6 - DEPARTMENT OF FERTILISERS**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	83514,95,00		
		83514,96,00	83507,27,22	-7,68,78
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			7,33,02
<b>पूँजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत—	Voted-	5,00	..	-5,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			5,00

**टीका और टिप्पणियां**

**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बचतें व्यय हुईं:-

1. In the revenue section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष “3451”	Major Head “3451”			
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat – Economic Services			
मू.	O.	3894.00		
		3310.98	3274.73	-36.25
पु.	R.	-583.02		

(I) ₹1.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilized under one head.

(II) “सचिवालय – उर्वरक विभाग” के अंतर्गत – ₹619.27 लाख की बचत (₹3894.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में

(II) Under “Secretariat - Department of Fertilizers” - saving of ₹619.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3894.00 lakhs) was due to

प्रावधान में कटौती किए जाने और कम परामर्शदाताओं को रखे जाने के कारण व्यावसायिक सेवाओं के लिए निधियों की कम आवश्यकता के कारण हुई।

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, ₹5.00 लाख का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा तथा अंततः उसे अभ्यर्पित किया गया था।

reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and requirement of less funds towards professional services owing to hiring of less Consultants.

2. In the capital section of the grant, provision of ₹5.00 lakhs remained wholly unutilized under five heads and was eventually surrendered.

---